**भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।**

**टी0 ए0 मिस वाद सं0 221B/2017-18**

मुरारी महतो **बनाम** राजाराम महतो

**:: आदेश::**

| दिनांक | पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर | अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| 15-06-18 | अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 322 दिनांक 28.02.18 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 221 B/2017–18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता मुरारी महतो पिता स्व0 विपीन महतो, ग्राम–कदमडीहा, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावॉ ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता राजाराम महतो, पिता इन्द्रो महतो, ग्राम–कदमडीहा, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावॉ को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:– | |

| मौजा | थाना न0 | खाता न0 | खेसरा न0 | रकवा |
|---|---|---|---|---|
| मड़साई | 342 | 14 | 46 | 0.17एकड़ |
| | | | 47 | 0.04एकड़ |
| | | | | 0.21एकड़ |

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि रैयती खाते की है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है। बिक्रेता के पास 2.63 एकड़ भूमि है, जिसमें से 0.21 एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् 2.42 एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना एवं जाति 'कुर्मी' जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.21 एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

15/06/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner